"...पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2012—फाल्गुन 5, शक 1933

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री के. आर. पिस्दा, भा.प्र.से. (1996) आयुक्त-सह-संचालक, लोक शिक्षण एवं आयुक्त-सह-संचालक, सर्वशिक्षा अभियान को केवल आयुक्त-सह-संचालक, सर्वशिक्षा अभियान के प्रभार से मुक्त करते हुए, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. सुश्री आर. शंगीता, भा.प्र.से. (2005) प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संचालक, सर्वशिक्षा अभियान, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

क्रमांक ई-1-02/2012/एक/2.—श्री सुनिल कुमार, भा.प्र.से. (सी.जी.-1979) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वन तथा जनशक्ति नियोजन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक 1069/1422/गृह-दो/2011.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ चिकित्सा विधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम 1998 अनुसूची एक (नियम 5) के वेतनमान में डॉ. डी. एन. तिवारी समिति तथा अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसानुसार निम्नानुसार संशोधन करता है :—

संशोधन
(परिशिष्ट-1)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद के नाम	संशोधित वेतनमान दिनांक 1-04-2006 से स्वीकृत	छठवें वेतनमान में निर्धारित तत्स्थानी वेतनमान+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	प्रयोगशाला तकनीशियन	4500-7000	5200-20200-2800

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक/455/एफ-04/01/2010/14-2.—राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/4034/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 21-10-2010 द्वारा कई मण्डियों के क्षेत्र में एक से अधिक जिला, तहसील आने से मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही किए जाने पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होने के फलस्वरूप घोषित कृषि उपज मण्डी समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2010-11 अनुसार कार्यवाही संपन्न कराया जाना संभव न हो पाने के कारण घोषित निर्वाचन कार्यक्रम 2010-11 को 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया था. जिसे राज्य शासन द्वारा पुन: समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/3614/एफ-04/01/2010/14-2 दिनांक 13-09-2011 द्वारा 06 माह के लिए मुल्तवी किया गया है.

राज्य शासन की राय है कि मण्डी अधिनियम में संशोधन के अनुसार नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, मण्डी समितियों के क्षेत्र सीमा परिवर्तन एवं युक्तियुक्तकरण संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा वर्तमान में 09 नये जिले के गठन होने से कतिपय मण्डी क्षेत्रों

की सीमाओं में और परिवर्तन होना है, जिसे पूरा करने में समय लगना अवश्यंभावी है, जिसके कारण मण्डी समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के निर्वाचन लगभग आगामी 06 तक कराया जाना संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 "क" की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों के निर्वाचनों को 06 माह की अवधि के लिए मुल्तवी करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2012

क्रमांक एफ 20-117/2009/11/(6).—राज्य सरकार की "औद्योगिक नीति 2009-14" के परिशिष्ट-3 में "प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों की सूची" वर्गीकरण एवं उत्पाद पर आधारित है. प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को सामान्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता है अत: राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में उच्च तकनीक का समावेश हो, पर्यावरण हित में हो अत: राज्य शासन एतद्द्वारा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेश की न्यूनतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

प्राथमिकता सूची के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी मद में स्थायी पूंजी निवेश की निर्धारित न्यूनतम सीमा होने पर ही प्राथमिकता उद्योगों को इस नीति में निर्धारित औद्योगिक निवेश संबंधी आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त होंगे.

प्राथमिकता सूची में निर्धारित पूंजी निवेश (प्लांट एवं मशीनरी मद में) न होने पर पात्र उद्योगों को सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान/छूट रियायतें प्राप्त होगी.

वर्गीकरण आधारित—

क्र. (1)	विवरण (2)	प्लांट एवं मशीनरी मद में पूंजी निवेश की निर्धारित सीमा (राशि रु. लाख में) (3)
1.	हर्बल तथा वनौषधि प्रसंस्करण	50.00
2.	आटोमोबाईल, आटो कंपोनेन्ट्स	100.00
3.	साइकिल एवं साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स	50.00
4.	प्लांट/मशीनरी/इंजीनियरिंग उत्पाद एवं इनके स्पेयर्स	100.00
5.	नॉन फेरस (एल्युमीनियम सहित) मेटल पर आधारित डाउन स्ट्रीम उत्पाद	200.00
6.	भारत सरकार द्वारा परिभाषित खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि पर आधारित उद्योग (राईस मिल को छोड़कर)	50.00
7.	ब्रांडेड डेयरी उत्पाद (मिल्क चिलिंग सहित)	100.00
8.	फार्मास्युटिकल उद्योग	50.00
9.	व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक उपभोक्ता उत्पाद	200.00
10.	सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग एवं आई.टी.एनेबल्ड सर्विसेस, जैव प्रौद्योगिकी एवं नैनो प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाले उद्योग.	50.00
11.	सेरी कल्चर, हार्टी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, बॉयो फर्टीलाईजर, पिसीकल्चर से संबंधित उद्योग	25.00

(1)	(2)	(3)
12.	टेक्सटाईल उद्योग (स्पिनिंग, वीविंग, पावरलूम एवं फेब्रिक्स व अन्य प्रक्रिया)	100.00
13.	लघु वनोपज पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग	50.00
14.	भारतीय रेल्वे, दूरसंचार, रक्षा, विमानन कंपनियों एवं अंतरिक्ष विभाग को आपूर्ति किये जाने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स.	100.00
15.	अपरम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन	100.00
16.	डिफेन्स, मेडिकल एवं लेबोरेटरी इक्युपमेंट	100.00
17.	ग्रामोद्योग इकाईयां (ग्रामोद्योग विभाग से अनुमोदित)	25.00
उत्पाद आधारित —		
1.	एच.डी.पी.ई. बैग्स एवं पाईप्स	100.00
2.	मोल्डेड फर्नीचर, कंटेनर्स एवं पी.व्ही.सी. पाईप्स एवं फिटिंग	100.00
3.	ट्रान्समीशन लाईन टावर/मोबाईल टावर एवं उनके स्पेयर्स पार्ट्स/उपकरण	200.00
4.	स्व-चालित कृषि यंत्र एवं ट्रेक्टर आधारित एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स	50.00
5.	मेटल पावडर	100.00
6.	बांस पर आधारित उद्योग (जिसमें बांस मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)	25.00
7.	लाख पर आधारित उद्योग (जिसमें लाख मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त हो)	25.00
8.	फ्लाई एश उत्पाद (सीमेंट को छोड़कर)	10.00
9.	रेडीमेट गारमेंट्स (केवल अपेरल पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को)	15.00
10.	सिंगल सुपर फास्फेट एवं समस्त प्रकार के फर्टीलाईजर्स	200.00
11.	100 प्रतिशत निर्यातक उद्योग	100.00
12.	बायोडीजल उत्पादन	20.00
13.	कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स प्रोफाईल्स एवं फिटिंग	75.00
14.	वैगन कोच स्पेयर्स एवं फिटिंग	100.00
15.	कटिंग टूल्स डाईज एवं फिक्चर्स	50.00
16.	फर्शी पत्थर की कटिंग एवं पॉलिशिंग	10.00

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को यह अधिकार होगा कि पूंजी निवेश की उपरोक्त सीमा में आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलरों को नीचे दर्शाये अनुसार निम्नलिखित शर्तो पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से निम्नानुसार कार्योत्तर छूट प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	बॉयलर क्रमांक (2)	छूट की अवधि (3)
1.	एम.पी./3542	दिनांक 23-10-2011 से 20-12-2011 तक
2.	एम.पी./3522	दिनांक 24-10-2011 से 20-12-2011 तक

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बॉयलर क्रमांक एम.पी./3825 को दिनांक 03-01-2012 से 31-07-2012 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से अतिरिक्त छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, सयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्रमांक/1323/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	पार्रीकला प. ह. नं. 30	0.070	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर.	दुर्ग राजनांदगांव के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्रमांक/1324/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	सुन्दरा प. ह. नं. 30	0.121	उप मुख्य अभियंता, दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, रायपुर.	दुर्ग राजनांदगांव के अन्तर्गत तीसरी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्रमांक/1325/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बीजाभांठा प. ह. नं. 21	2.490	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सुखरी माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 फरवरी 2012

क्रमांक/1326/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	बम्हनीभांठा प. ह. नं. 12	0.016	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के डुबान क्षेत्र में प्रभावित मकान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/1410/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	केसला प. ह. नं. 22	3.213	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के केसला माइनर (2) के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/1411/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मनेरी प. ह. नं. 13	2.965	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मनेरी माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/1412/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	आलीखूंटा प. ह. नं. 03	2.490	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के आलीखूंटा माइनर के अन्तर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/1413/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बिसाहूटोला प. ह. नं. 02	0.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	खातूटोला बैराज दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक/1414/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	मानपुर	औंधी प. ह. नं. 12	7.10	पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव	नवीन थाना निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्रमांक/1887/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	चोरहाबंजारी प. ह. नं. 57	0.851	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्रमांक/1888/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	दतरेंगाटोला प. ह. नं. 24	0.802	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 फरवरी 2012

क्रमांक/1889/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुरिया	बेलरगोंदी प. ह. नं. 17	0.870	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	घुमरिया नाला बैराज के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 27 जनवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	बोड़ला	भनसुला	4.046	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के डुबान हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 11 अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	खैरा प. ह. नं. 16	204/3 211/1	0.105 0.101	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कसडोल.	कटगी, बैजनाथ, मड़कड़ा मार्ग निर्माण.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			236/1	0.122		
			211/2	0.101		
			236/2	0.122		
			234/1	0.061		
			234/2	0.042		
			235/2	0.013		
			239/1	0.059		
			239/2	0.058		
			246/2	0.032		
			1142/1	0.034		
			1142/2	0.017		
			1142/3	0.033		
			1142/4	0.017		
			1143/1, 1144/3	0.061		
			1150/4, 1151/1	0.041		
			1150/3, 1151/1	0.040		
			1152/1, 1153/1	0.062		
			1152/2, 1153/2	0.062		
			1152/3, 1153/3	0.038		
			1155/1	0.053		
			1156/1	0.045		
			1157/1	0.031		
			1157/2	0.030		
			1158	0.041		
		योग	26	1.421		

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 13 अ/82/वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	झबड़ी प. ह. नं. 16	575/3	0.097	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार.	कटगी, बैजनाथ, मड़कड़ा मार्ग.
			913/1	0.227		
			575/4	0.093		
			682/1, 683/1	0.089		
			582/2ख	0.162		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			619/2	0.081		
			620/6	0.081		
			621	0.081		
			622/1	0.016		
			627/1	0.032		
			627/2	0.032		
			627/3	0.032		
			628/2	0.024		
			644	0.045		
			645/1	0.055		
			645/2	0.048		
			645/5	0.011		
			645/6	0.007		
			879/2	0.016		
			653/1, 653/2	0.032		
			653/3	0.014		
			653/5	0.043		
			653/4	0.061		
			666/2	0.036		
			666/3	0.036		
			666/4	0.020		
			666/5	0.016		
			668/3	0.049		
			668/4	0.024		
			668/5	0.024		
			689/5	0.020		
			689/7	0.019		
			689/8	0.019		
			689/9	0.019		
			755	0.004		
			764	0.008		
			765	0.012		
			767/3	0.028		
			767/5	0.045		
			768	0.024		
			769	0.121		
			771/1	0.008		
			833/2	0.004		
			911	0.004		
			834	0.040		
			835/1	0.016		
			835/2	0.016		
			835/3	0.016		
			835/4	0.013		
			836/1	0.029		
			836/2	0.010		
			865	0.016		
			836/3	0.006		
			837/1	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			861	0.053		
			862	0.021		
			864	0.028		
			866	0.036		
			875/2	0.040		
			867	0.045		
			868	0.008		
			869/1	0.004		
			878/1	0.071		
			878/2	0.071		
			888/1	0.061		
			890	0.040		
			896/1	0.040		
			897	0.020		
			898	0.020		
			899	0.024		
			914	0.097		
		योग	**71**	**2.800**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक 05/क/अविअ/भू.अ./1 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	परसकोल दलदली	0.94	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	कोकड़ी-परसकोल लात नाला पुल निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार.
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 फरवरी 2012

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	दोमुहानी	1.68	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	अरपा नदी पर सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/321.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	गुजियाबोर प.ह.नं. 21	0.045	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती.	भनेतरा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/322.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डड़ई प.ह.नं. 04	0.045	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 6 सक्ती.	अचानकपुर माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/324.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन प.ह.नं. 08	0.048	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसियां.	सिंघरा वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/325.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	अड़भार प.ह.नं. 08	0.263	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	अड़भार माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/326.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	करिगांव प.ह.नं. 06	0.222	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	मल्दी माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/327.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	मोहतरा प.ह.नं. 05	0.170	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	सारसडोल माइनर नं. 1 पोता उप वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक-क/भू-अर्जन/328.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	मालखरौदा	बंदोरा प.ह.नं. 08	0.076	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 5 खरसिया.	कुरदा वितरक नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 9 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	गोढ़ी प. ह. नं. 38	1.681	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	डूबान क्षेत्र पूरक भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	आमाघाट प. ह. नं. 36	0.436	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	डूबान क्षेत्र पूरक भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कसडोल प. ह. नं. 36	3.453	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	डूबान क्षेत्र पूरक भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 9 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	कांटाझरिया प. ह. नं. 36	1.182	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना सर्वेक्षण संभाग, रायगढ़.	डूबान क्षेत्र पूरक भू-अर्जन प्रस्ताव.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक/1726/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-घुपसाल, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.960 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	8/6	0.223
	11/1	0.085
	12	0.057
	14/1	.0.077
	14/2	0.061
	15/1	0.121
	15/2	0.081
	17	0.020
	18/2	0.061
	22/1	0.020
	23/1	0.057
	23/6	0.024
	23/9	0.024
	18/4	0.049
योग	14	0.960

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुपसाल मुख्य सड़क से लाटमेटा तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक/1727/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लाटमेटा, प. ह. नं. 30
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.404 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	198/6	0.040
	201/2	0.089
	201/4	0.154
	201/5	0.121
योग	4	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुपसाल मुख्य सड़क से लाटमेटा तक सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक/1728/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-गोंडलवाही, प. ह. नं. 42

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.125 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	748/1	0.125
योग	1	0.125

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमरी, मटिया, उमरवाही मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 10 फरवरी 2012

क्रमांक/1729/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगांव

(ग) नगर/ग्राम-झींका, प. ह. नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	187/1	0.109
योग	1	0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुखरी-झींका दीवानभेंड़ी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक/2510/क/भू-अर्जन प्र.क्र. 9 अ/82 वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बिलाईगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कारीपाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.442 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51	0.065

	(1)	(2)
	63/1	0.016
	63/2	0.016
	71	0.105
	72/2क	0.222
	109/1	0.018
योग	6	0.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अर्जुनी व्यपवर्तन नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 06/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-हथनी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	281/1	0.16
	282	0.06
	283	0.03
योग	3	0.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथनी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 21 जनवरी 2012

प्रकरण क्रमांक 07/अ-82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बिलासपुर
 (ख) तहसील-बिल्हा
 (ग) नगर/ग्राम-मुरकुटा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	166/4	0.10
	166/5	0.18
योग	2	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हथनी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 जनवरी 2012

क्रमांक 31.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-घिवरा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1128	0.045
योग	1	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घिवरा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 29.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-झालरौंदा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1147/1	0.061
	1437/2	0.020
योग	2	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झालरौंदा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 जनवरी 2012

क्रमांक 30.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दाकला, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1847/1	0.081

	(1)	(2)
	1847/2	0.081
	1862	0.073
	2194/2	0.004
योग	4	0.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जमड़ी माइनर नं. 2, नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 4 फरवरी 2012

क्रमांक 323.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	20/1, 21/1	0.085
योग	1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्राभांठा माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती, मु. जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-चितापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.481 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	169/1	0.243
	379/2क	0.049
	379/2ख	0.073
	380	0.028
	378, 379/1, 384/1	0.020
	383/1ख	0.010
	383/1क	0.010
	378, 379, 384/3	0.020
	385	0.028
योग	9	0.481

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कटाईपालीसी चितापाली मार्ग पर सखियानाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/सह भू-अर्जन अधिकारी, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-रियापाली, प.ह.नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.901 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	155	0.78
	160/2	0.456
	160/5	0.051
	160/3	0.081
	160/6	0.052
	160/7	0.052
	160/4	0.051
	160/1	0.378
योग	8	1.901

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-महलोई, प.ह.नं. 34
(घ) लगभग क्षेत्रफल-10.418 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276/3	0.020
294/2	0.190
295/2	0.073
296/2	0.020
279/1	0.162
287/2	0.121
276/2	0.049
275/1घ	0.020
216	0.073
305/1	0.174
283/5	0.081
211/3	0.101
212	0.125
213	0.178
214/1	0.024
215	0.089
275/2	0.141
277	0.024
278/1	0.166
282/2	0.036
287/1	0.190
303/2	0.178
304/2	0.162
309/2	0.142
282/1	0.368
288/1	0.190
288/2	0.186
293	0.178
300	0.134
301	0.332
315/2	0.069
286/1	0.065
289/1क	0.113
283/4	0.081
275/1ङ	0.074
275/1क	0.006
211/2	0.033

(1)	(2)
285/2	0.050
289/1ख	0.049
315/3	0.142
275/1ख	0.020
285/1	0.255
308	0.239
289/2	0.040
285/3	0.050
274/2	0.053
283/2	0.081
291	0.073
292	0.551
297	0.125
299	0.190
306	0.182
285/4	0.050
284	0.336
294/1	0.190
295/1	0.073
296/1	0.020
315/1	0.121
302	0.069
275/1ग	0.021
278/2	0.127
279/2	0.036
280/2	0.130
283/3	0.081
211/1	0.097
280/1	0.579
286/2	0.081
281	0.077
309/1	0.303
274/3	0.053
274/1	0.077
274/4	0.040
214/2	0.138
365/3	0.304
307	0.178
298	0.053
283/1	0.393
303/1क	0.073
304/1	0.016
303/1ख	0.040
305/2	0.016
289/1ग	0.085
290	0.093
योग 83	10.418

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 फरवरी 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2011-12.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-झिलगिटार, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
27/6	0.112
27/8	0.111
26/2	0.531
27/9	0.069
30/3	0.421
27/4	0.073
32/12	0.081
26/3	0.532
62/1	0.324
24	0.926
27/1	1.504
32/4	0.040
23/13	0.425

(1)	(2)	(1)	(2)
23/9	0.061	23/18	0.061
32/1	0.707	31/1	0.144
30/2ख	0.263	23/1	0.405
20/8	0.101	20/12	0.061
32/3	0.273	30/4	0.174
32/16	0.020	63/2	0.162
23/12	0.081	23/5	0.021
32/15	0.020	30/2क	0.267
26/1	0.531	20/16	0.101
23/10	0.425	20/14	0.101
30/5	0.174	22/2	0.203
28/1	0.115	22/3	0.081
29/1	0.100	20/1	0.796
31/5	0.143	20/3	0.033
27/10	0.081	23/3	0.020
20/7	0.093	20/13	0.020
20/6	0.101	62/3	0.218
23/23	0.212	63/1	0.110
31/4	0.143	27/7	0.111
28/2	0.115	23/7	0.061
29/2	0.099	32/10	0.343
20/5	0.061	32/9	0.081
20/10	0.181	62/4	0.218
32/17	0.020	63/3	0.109
22/4	0.202	23/14	0.081
22/6	0.081	23/11	0.081
23/16क	0.210	23/21	0.212
32/2	0.273	23/4	0.213
23/8	0.061	62/2	0.223
20/17	0.202	27/3	0.202
22/1	0.134	30/1	0.174
32/7	0.081	23/2	0.049
23/15	0.032	63/4	0.162
31/3	0.144	32/11	0.081
27/2	0.202	23/6	0.076
32/6	0.040	20/2	0.320
20/9	0.101	23/19	0.061
32/5	0.040	20/11	0.061
32/13	0.040	32/14	0.040
23/17	0.061	23/16ख	0.061
27/5	0.112	28/3	0.115
20/15	0.101	29/3	0.100
20/4	0.138	31/2	0.288

	(1)	(2)
	22/5	0.202
	22/7	0.081
	32/8	0.487
	23/20	0.061
	23/22	0.212
योग	104	19.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-औद्योगिक प्रयोजनार्थ निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 153.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अधिसूचना क्रमांक 496 दिनांक 23-7-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23-8-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करना है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	बॉधापाली, प.ह.नं. 4	39/1	0.11/0.044

(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
				39/2	0.10/0.040
				40	0.18/0.072
			योग	3	**0.39/0.156**

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 155.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अधिसूचना क्रमांक 498 दिनांक 23-7-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23-8-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करना है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	**डभरा**	**केकराभाट, प.ह.नं. 4**	**914/1**	**0.20/0.080**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			914/2	0.15/0.061
			915	0.10/0.040
			910	0.20/0.080
			907	0.05/0.020
			905/1	0.07/0.028
			905/2	0.07/0.028
			905/3	0.08/0.032
			896/1 च	0.05/0.020
			581/1	0.05/0.020
			338	0.12/0.048
			339/1	0.15/0.061
			155/4	0.05/0.020
			159/1	0.05/0.020
			160/2	0.04/0.016
		योग	**15**	**1.43/0.573**

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 157.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अधिसूचना क्रमांक 492 दिनांक 23 7 2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23-8-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करना है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	कबारीपाली, प.ह.नं. 17	311	0.09/0.036
			309/1, 309/2	0.11/0.044
			310/1 ग	0.04/0.016
			310/2	0.08/0.032
			307	0.10/0.040
			308/1	0.05/0.020
			308/3	0.06/0.024
			308/4	0.12/0.048
			308/5	0.10/0.040
			308/2	0.10/0.040
		योग	**10**	**0.85/0.339**

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 159.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अधिसूचना क्रमांक 500 दिनांक 23-7-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23-8-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करना है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	रेड़ा, प.ह.नं. 20	22	0.10/0.040
			21	0.29/0.117
			23/1	0.05/0.020
			23/2	0.05/0.020
			20	0.58/0.235
			8, 12	0.20/0.080
		योग	**6**	**1.27/0.512**

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 161.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अधिसूचना क्रमांक 494 दिनांक 23-7-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23-8-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के [illegible] के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को [illegible] और उन्हें [illegible] कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में ... आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	किरारी, प.ह.नं. 21	682/1	0.22/0.089
			682/2	0.14/0.056
		योग	2	0.36/0.145

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ
(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 163.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) की अधिसूचना क्रमांक 502 दिनांक 23-7-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 23-8-2011 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करना है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	जवाली, प.ह.नं. 22	397/1	0.10/0.040
			398	0.10/0.040
			394, 395	0.15/0.061
			378/3	0.19/0.077
			379	0.14/0.057
			380	0.05/0.020
			198/2	0.10/0.040
			381	0.29/0.116
			382	0.03/0.12
			205	0.21/0.085
			206/1	0.07/0.028
			206/2	0.07/0.028
			207/1 से 207/6	0.12/0.048
			208	0.15/0.061
			199	0.08/0.032
			198/1	0.09/0.036
			210/1, 210/2	0.08/0.032
			236	0.15/0.061
			210/3	0.06/0.024
			237	0.07/0.028
			197/4	0.18/0.072
			197/5	0.06/0.024
			197/1	0.07/0.028
			223/2	0.11/0.045
			223/3	0.03/0.012
			243/2	0.05/0.020
			242/1	0.04/0.016
			244	0.03/0.012
			243/1	0.04/0.016
			247	0.03/0.012
			248/3	0.03/0.012

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			250/4 क	0.13/0.052
			251/2	0.20/0.081
			251/4	0.05/0.020
			232/1	0.04/0.016
			231	0.07/0.028
			232/2	0.03/0.012
			234	0.07/0.028
			577	0.11/0.045
			579	0.07/0.028
			580	0.07/0.028
			584	0.10/0.040
			586	0.04/0.016
			587	0.05/0.020
			585/1	0.05/0.020
			588	0.11/0.045
			590	0.18/0.072
			592	0.15/0.060
			593	0.04/0.016
			1243/1	0.07/0.028
			1244/1	0.05/0.020
			1244/2	0.05/0.020
			1245/1	0.10/0.040
			1245/2	0.10/0.040
		योग	**54**	**4.90/1.969**

डभरा, दिनांक 15 फरवरी 2012

प्रारूप-घ

(नियम 6 देखिए)

क्रमांक 165.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी डभरा, जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) को अधिसूचना क्रमांक 490 दिनांक 23-7-2011 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मेसर्स आर. के. एम. पावरजेन प्रा. लि. चेन्नई हाल-उच्चपिण्डा बांधापाली परियोजना के लिए जल परिवहन द्वारा ग्राम साराडीह, प.ह.नं. 22, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) से ग्राम-बांधापाली, प.ह.नं. 4, तहसील डभरा, जिला-जांजगीर-चांपा तक भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक .... को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित का उसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करना है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाईप बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाईपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	डभरा	साराडीह, प.ह.नं. 22	547/1	0.03/0.012
			547/2	0.03/0.012
			547/3	0.03/0.012
			558/3, 558/2	0.30/0.121
			184/1	0.03/0.012
			184/2	0.17/0.069
			185	0.12/0.048
			186	0.08/0.032
			76/1	0.07/0.028
			76/2, 76/3	0.07/0.028
			76/4	0.08/0.032
			77	0.20/0.081
			79/1	0.13/0.052
			79/2	0.07/0.028
			79/3	0.07/0.028
			89	0.10/0.040
		योग	16	**1.58/0.635**

एस. सी. श्रीवास्तव,
प्राधिकृत अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 9th February, 2012

No. 1096/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers Shri Anish Dubey, Judicial Magistrate First Class, Dallirajhara, District Durg, to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section.

Bilaspur, the 9th February, 2012

No. 31/Confdl./2012/II-3-1/2012.—Ku. Sanghratna Bhatpahari, II Civil Judge Class-I & A.C.J.M., Jagdalpur is posted as Officiating Chief Judicial Magistrate, Jagdalpur, until further orders.

By order of the Hon'ble High Court,
A. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक 21/दो-2-39/2004.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 31-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2012

क्रमांक 22/दो-2-15/2002.—श्री अशोक कुमार पण्डा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक 23/दो-3-13/2008.—श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, एडीशनल रजिस्ट्रार (डी.ई.), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक 24/दो-3-33/2007.—श्री बलिन्दर सिंह सलूजा, एडीशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 29-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक 25/दो-2-11/2008.—श्री आनन्द कुमार ध्रुव, न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, कोरबा को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-12-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

क्रमांक 26/दो-2-36/2004.—श्री राधाकिसन अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 08-11-2011 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2009 से 31-10-2011 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एल. खुटेल, बजट अधिकारी.